उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग– 1
संख्या 2451 / सत्रह–वि–1–1 (क)– 37–2001
लखनऊ 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधरण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिक (संशोधन) अधिनियम, 2001
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिएं

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1– यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा। **संक्षिप्त नाम**

2– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 47–क निकाल दी जायेगी। **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 47–क का निकाला जाना**

3– मूल अधिनियम की धारा 48 में,– **धारा 48 कर संशोधन**

(क) उपधारा (2) खण्ड (ख) मे, उप खण्ड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

(नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी है; या

(दस) नगरपालिका निधि का दुर्विनियोग या दुरूपयोग किया है या

(ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों को उल्लंघन किया है ; या

(तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि इस बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है; या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझ का उल्लंघन किया है; या

(पन्द्रह) नगरपालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित्य किया है; या

(सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है; या

(सत्रह) नगरपालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है;

(ख) उपधारा (2–क) में, परन्तुक निकाल दिया जायगा।

धारा 87–क का निकाला जाना

4– मूल अधिनियम की धारा 87–क निकाल दी जायगी।

धारा 96 का संशोधन

5– मूल अधिनियम की धारा 96 में, उपधारा (1) में; खण्ड (ख) में,–

(क) शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायंगे;

(ख) शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायंगे;

(ग) परन्तुक में शब्द "बीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायंगे;

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी

प्रमुख सचिव।